



इलेक्ट्रोनिक अनुमोदन

स्वामित्व:	निदेशक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व एवं धारणीयता	दस्तावेज़ सं.:	COMM-SC-2000-04
अनुमोदनकर्ताः	SVP, गुणवत्ता	संशोधन की तारीख:	6 फ़रवरी, 2023
	मुख्य ख़रीद अधिकारी		
	विश्लेषक, वैश्विक प्रक्रिया प्रणाली और रणनीतियाँ		

1.0 प्रयोजन

CommScope अपने कारोबार को नैतिक, क़ानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को साझा करने के लिए CommScope अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ जुड़ती है और इसीलिए यह आपूर्तिकर्ता आचार संहिता ("संहिता") स्थापित की गई है। यद्यपि इसके आपूर्तिकर्ताओं पर अलग-अलग क़ानूनी और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ लागू हो सकती हैं, मगर CommScope के आपूर्तिकर्ताओं को CommScope या इसकी किसी भी सहायक कंपनी के साथ कारोबार करने के लिए इस संहिता का पालन करना अनिवार्य है।

यह संहिता संयुक्त राष्ट्र (UN) वैश्विक कॉम्पैक्ट (United Nations (UN) Global Compact) के 10 सिद्धांतों, उत्तरदायी व्यवसाय गठबंधन (RBA) आचार संहिता (Responsible Business Alliance (RBA) Code of Conduct), संयुक्त लेखा परीक्षा सहयोग (JAC) आपूर्ति शृंखला के धारणीयता दिशानिर्देशों (Joint Audit Cooperation (JAC) Supply Chain Sustainability Guidelines) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप है। यह संहिता विश्व की सबसे महत्वपूर्ण विकास चुनौतियों से निपटने की दिशा में UN के सतत विकास लक्ष्यों (UN Sustainable Development Goals) (SDGs) के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर मुहर लगाती है।

इन प्रकरणों से निपटने हेतु हम आपूर्तिकर्ताओं को नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और पद्धितियाँ कायम रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने आपूर्तिकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों - यानी ISO14001, ISO45001, SA8000 आदि का इस्तेमाल करते हुए कुशल प्रबंधन प्रणालियाँ लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

2.0 कार्यक्षेत्र

यह संहिता CommScope के वर्तमान और संभावित आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होती है।

3.0 संबंधित प्रलेखन, गुणवत्ता प्रणाली प्रपत्र, डेटा और रिकॉर्ड

3.1 संबंधित प्रलेखन

संख्या	पदनाम	
ISO 9001	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (नवीनतम संस्करण)	
TL 9000	दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (जहाँ लागू हो)	
SA 8000	सामाजिक उत्तरदायित्व का अंतरराष्ट्रीय मानक	
COMM-SC-2000	आपूर्तिकर्ता चयन और योग्यता प्रक्रिया	
COMM-SC-2020	आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता मैनुअल	
CS-SC-2001	आपूर्तिकर्ता प्रबंधन प्रक्रिया	
6.1.17	श्रम नीति	
6.1.18	बाल श्रम नीति	
PRC-000011	पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) नीति	
N/A	CommScope आचार और व्यापार आचरण संहिता	
N/A	मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणापत्र	
N/A	संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट	
N/A	उत्तरदायी व्यवसाय गठबंधन आचार संहिता	
N/A	संयुक्त लेखा परीक्षा सहयोग (JAC) आपूर्ति श्रृंखला के धारणीयता दिशानिर्देश	
N/A	UN के सतत विकास लक्ष्य (SDGs)	

4.0 नीति

4.1 **क़ानूनों, विनियमों और प्रकाशित मानकों का अनुपालन।** कम से कम CommScope के आपूर्तिकर्ताओं को उन देशों, राज्यों और इलाक़ों में लागू क़ानूनों, नियमों, विनियमों, संहिताओं और नैतिक मानदंडों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, जहाँ वे काम करते हैं या जहाँ वे CommScope को या उसके उत्पाद, लोग और सेवाएँ प्रदान करते हैं।



इसमें पर्यावरण, पेशागत स्वास्थ्य, सुरक्षा, आचारनीति, श्रम पद्धितियों से संबंधित क़ानून और विनियम शामिल हैं, लेकिन बात इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके साथ-साथ CommScope के आपूर्तिकर्ताओं को अपने आपूर्तिकर्ताओं (श्रम और सेवा एजेंसियों/एजेंटों सहित) से इनका पालन कराना होगा।

- 4.2 **CommScope की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ।** आपूर्तिकर्ताओं को CommScope की प्रकाशित नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना ही होगा, जिसमें हितों का टकराव, श्रष्टाचार का विरोध, आपूर्तिकर्ताओं के साथ माकूल रिश्ते और CommScope की आचार संहिता एवं व्यावसायिक आचरण के अन्य प्रासंगिक प्रावधान शामिल हैं, लेकिन बात इन्हीं तक सीमित नहीं है। CommScope समय-समय पर इस संहिता सहित इन नीतियों और प्रक्रियाओं को संशोधित कर सकती है, आपूर्तिकर्ता नवीनतम संस्करण को हमेशा सहमति प्रदान करेंगे और इसका अनुपालन करेंगे, जो यहाँ प्राप्त हो सकता है: https://www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability/document-library/.
- 4.3 **अम पद्धतियाँ एवं मानविधकार ।** हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता अपने कामगारों और अपनी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले अन्य लोगों के मानविधिकारों का संरक्षण एवं सम्मान करेंगे।
 - 4.3.1 स्वतंत्र रूप से चुना गया रोजगार, जबरन मज़द्री । आपूर्तिकर्ता को जबरन, बँधुआ (क़र्ज़दार बँधुआ सहित), गिरमिटिया या अनिच्छुक जेल मज़द्री, दासता या मानव तस्करी के किसी भी रूप का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में प्रवेश करने या बाहर आने पर रोक के साथ-साथ सुविधा में श्रमिकों की स्वतंत्र आवाजाही पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आपूर्तिकर्ता के कामगारों को उनकी देशी भाषा में एक लिखित रोजगार अनुबंध प्रदान किया जाना अनिवार्य है। कामगारों के लिए सरकार द्वारा जारी की गई काग़ज़ी कार्यवाही (जैसे ID, पासपोर्ट, कार्य परमिट आदि) को आपूर्तिकर्ता और एजेंट तब तक रोक कर नहीं रख सकते, जब तक कि ऐसा करने की क़ानूनी बाध्यता न हो। सारा काम स्वैच्छिक है और यदि कामगारों के अनुबंध के अनुसार तर्कसंगत नोटिस दिया गया है, तो वे किसी भी समय काम छोड़ने या अपना रोज़गार समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, और उन्हें अपने रोज़गार के लिए नियोक्ताओं या एजेंटों का भर्ती शुल्क या अन्य संबंधित शुल्क भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होगी।
 - 4.3.2 **बाल श्रम।** विनिर्माण के किसी भी चरण में बाल श्रम का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं किया जाएगा। रोज़गार या काम के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष से अधिक है, जो संबंधित देश में रोज़गार पाने की न्यूनतम आयु या संबंधित देश में अनिवार्य शिक्षा पूरी करने की आयु है। लागू क़ानूनों और विनियमों का अनुपालन करने वाले न्यायसंगत कार्यस्थल शिक्षण कार्यक्रमों के इस्तेमाल का समर्थन किया जाता है। 18 वर्ष से कम आयु के कामगार रात पाली और ओवरटाइम सहित ऐसे काम नहीं करेंगे, जो उनके स्वास्थ्य या स्रक्षा को जोखिम में डालते हों।
 - 4.3.3 **काम करने के घंटे।** काम करने के घंटे स्थानीय क़ानून द्वारा निर्धारित अधिकतम घंटों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, कोई कार्य सप्ताह ओवरटाइम सिहत 60 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, आपातकालीन या असामान्य स्थितियाँ अपवाद हैं। कामगारों को हर सात दिन में कम से कम एक दिन की छुट्टी दी जाएगी।
 - 4.3.4 मज़दूरी और लाभ । आपूर्तिकर्ता को मज़दूरी और लाभों (न्यूनतम मज़दूरी, ओवरटाइम वेतन/दर, समान पारिश्रमिक और क़ानूनी रूप से अनिवार्य लाभों सिहत) से संबंधित लागू क़ानूनों का पालन करना पड़ेगा। आपूर्तिकर्ता किसी अनुशासनात्मक कदम के रूप में मज़दूरी नहीं काट सकता और हर वेतन अविध का स्पष्ट और समझ में आने लायक विवरण देने के साथ-साथ कामगारों को समय पर अवश्य भुगतान करेगा।
 - 4.3.5 मानवीय बर्ताव । आपूर्तिकर्ता सभी कामगारों के साथ सम्मानजनक और गरिमापूर्ण व्यवहार करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि वे हिंसा, लिंग-आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दंड, मानसिक या शारीरिक ज़बरदस्ती, दादागीरी, सार्वजनिक रूप से शर्मसार किए जाने या मौखिक गालियाँ दिए जाने जैसे अप्रिय, कठोर या अमानवीय व्यवहार से सुरक्षित हैं; न ही उनके साथ इस तरह का कोई बर्ताव किए जाने का ख़तरा मौजूद है। इन ज़रूरतों के समर्थन में अनुशासनात्मक नीतियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा तथा इनके बारे में कामगारों को बताया जाएगा।
 - 4.3.6 **गैर-भेदभाव/गैर-उत्पीड़न ।** आपूर्तिकर्ता भर्ती करने और रोज़गार की पद्धतियों में नस्ल, रंग, उम्र, लिंग, सेक्सुअल रुझान, लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति, जातीयता या राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, गर्भावस्था, धर्म, राजनीतिक जुड़ाव, संघीय सदस्यता, कवर की गई वयोवृद्धता, संरक्षित आनुवंशिक जानकारी या वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्पीड़न या भेदभाव करने में लिप्त नहीं होगा और इसका कतई समर्थन नहीं करेगा। कामगारों को विकलांगता की स्थिति में और धार्मिक परंपराएँ निभाने के लिए माकूल जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, कामगारों या संभावित कामगारों के ऐसे मेडिकल टेस्ट या परीक्षण नहीं कराए जाएँगे, जिनका इस्तेमाल भेदभावपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। आपूर्तिकर्ता समान अवसरों को बढ़ावा देगा।
 - 4.3.7 **एसोसिएशन की स्वतंत्रता** आपूर्तिकर्ता अपने कामगारों के ट्रेड यूनियनें बनाने, अपनी पसंद की ट्रेड यूनियनों में शामिल होने, सामूहिक रूप से सौदेबाज़ी करने और शांतिपूर्ण सभाओं के साथ जुड़ने वाले अधिकार का सम्मान करेंगे, साथ ही कामगारों के ऐसी गतिविधियों से दूर रहने के अधिकार का भी सम्मान करेंगे। कामगार और/या उनके प्रतिनिधि किसी भेदभाव, प्रतिशोध, धमकी या उत्पीड़न से डरे बिना काम के हालात और प्रबंधन की प्रद्धितियों को लेकर प्रबंधन के साथ खुला संवाद कर सकेंगे तथा अपने विचारों, सुझावों और चिंताओं को साझा करने में सक्षम होंगे।



दस्तावेज़ सं.: COMM-SC-2000-04

संशोधन की तारीख:

6 फ़रवरी, 2023

- 4.4 स्वास्थ्य और सुरक्षा पद्धतियाँ । आपूर्तिकर्ता अपने कामगारों और अपनी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और भला चंगा कार्यस्थल व देखभाल प्रदान करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता ISO45001 जैसे मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करेंगे, और किसी थर्ड-पार्टी सनद को प्रोत्साहित किया जाता है।
 - 4.4.1 पेशागत सुरक्षा । आपूर्तिकर्ता कार्यस्थल के ख़तरों (जैसे, रासायनिक, विद्युत, और अन्य ऊर्जा स्रोतों, आग, वाहन, और गिर पड़ने के ख़तरें) की पहचान और मूल्यांकन करेंगे तथा उपयुक्त डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक नियंत्रण, रोकथाम संबंधी रखरखाव, सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण के जिरए इनको नियंत्रित करेंगे। जहाँ पर ख़तरों को इन उपायों के जिरए पर्याप्त रूप में नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वहाँ कामगारों को उपयुक्त, सुव्यवस्थित, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं/दूध पिलाने वाली माताओं की सुरक्षा के लिए यथोचित कदम उठाए जाने चाहिए।
 - 4.4.2 **आपातकालीन मुस्तैदी ।** आपूर्तिकर्ता को आपातकालीन रिपोर्टिंग, कर्मचारी अधिसूचना एवं निकासी प्रक्रियाओं, कामगार प्रशिक्षण एवं सुनिश्चित अभ्यास, आग का ठीक से पता लगाने और उसे बुझाने के उपकरण, निकासी की पर्याप्त सुविधाओं एवं रिकवरी वाले उपाय करने के साथ-साथ आपातकालीन योजनाओं और कार्ययोजना की प्रक्रियाओं को लागू करते हुए आपातकालीन स्थितियों की पहचान व मूल्यांकन करना होगा तथा चाक-चौबंद रहना पड़ेगा।
 - 4.4.3 पेशागत चोट और बीमारी। आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पेशागत चोट और बीमारी को रोकने, प्रबंधित करने, ट्रैक करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं तथा निम्निलिखित प्रावधान शामिल हैं: कामगार रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करें; चोट और बीमारी के मामलों को वर्गीकृत और दर्ज़ करें; ज़रूरी चिकित्सा उपचार प्रदान करें; मामलों की जाँच-पड़ताल करें और उनकी वजहों को ख़त्म करने वाले सुधारात्मक कदम उठाएँ; साथ ही कामगारों की काम पर वापसी संपन्न कराएँ।
 - 4.4.4 **औद्योगिक स्वच्छता ।** आपूर्तिकर्ता के रासायनिक, जैविक और भौतिक एजेंटों के संपर्क में आने वाले कामगारों की पहचान की जाएगी, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और नियंत्रणों के क्रमानुसार उन्हें नियंत्रित किया जाएगा। जब ख़तरों को पर्याप्त रूप से समाप्त या नियंत्रित नहीं किया जा सके, तब कामगारों को उपयुक्त व्यक्तिगत स्रक्षा उपकरण प्रदान करने होंगे और उन्हें काम में लाया जाएगा।
 - 4.4.5 **शारीरिक रूप से असामान्य मेहनत वाला कार्य ।** आपूर्तिकर्ता के शारीरिक रूप से असामान्य मेहनत वाले कार्य करने वाले कामगारों की पहचान करनी होगी, उनका मूल्यांकन करना होगा और उन्हें नियंत्रित किया जाएगा। इन कार्यों में सामग्री का हाथ से प्रबंधन, भारी चीज़ें या बार-बार वजन उठाना, लंबे समय तक खड़े रहना, अत्यधिक दोहराव वाले या ताक़त के ज़ोर पर असेंबल करने के कार्य शामिल हैं।
 - 4.4.6 **मशीन को सुरक्षित रखना।** आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निर्मित चीज़ों और अन्य मशीनरी का सुरक्षा संबंधी ख़तरों को लेकर मूल्यांकन अवश्य किया जाए। जहाँ मशीनरी से कामगारों को चोट लगने का ख़तरा मौजूद होता है, वहाँ फिजिकल गॉर्ड, इंटरलॉक और बैरियर लगाए जाने चाहिए और उनका उचित रखरखाव करना चाहिए।
 - 4.4.7 स्वच्छता, भोजन और आवास। आपूर्तिकर्ता कामगारों को स्वच्छ शौचालय की सुविधाएँ, पेयजल तथा भोजन तैयार करने, उसका भंडारण करने और बैठ कर खाने की साफ-सुथरी सुविधाएँ प्रदान करेगा। आपूर्तिकर्ता या किसी श्रमिक एजेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए कामगार शयनगृहों का साफ-सुथरा एवं सुरक्षित होना ज़रूरी है, साथ ही उनमें उपयुक्त आपातकालीन निकास, गर्म पानी, पर्याप्त रोशनी, गरमाहट और हवा की आवाजाही, निजी और मूल्यवान वस्तुओं के भंडारण हेतु अपना सुरक्षित स्थान तथा प्रवेश और निकास के विशेषाधिकार वाला वाजिब रास्ता मौजूद होना चाहिए।
 - 4.4.8 स्वास्थ्य और सुरक्षा संदेश। आपूर्तिकर्ता कार्यस्थल की स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी समुचित जानकारी तथा प्रशिक्षण कामगारों को उनकी ही भाषा में या उस भाषा में प्रदान करेंगे, जिसे कामगार समझ सकता है। यह जानकारी कार्यस्थल के उन सभी जाने-पहचाने ख़तरों से संबंधित होगी, जिनका सामना कामगार करते हैं। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फ़ायर और शारीरिक ख़तरे शामिल हैं, लेकिन बात इन्हीं तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से उस सुविधा में पोस्ट की जानी चाहिए या किसी ऐसे स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए, जिसे कामगार पहचान सकें और वहाँ पहुँच सकें। सभी कामगारों को काम शुरू करने से पहले और उसके बाद नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। कामगारों को प्रतिशोध की भावना के बिना किसी भी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंता को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 4.5 **पर्यावरण संबंधी आचरण ।** आपूर्तिकर्ता अपने परिचालन, उत्पादों और सेवाओं के चलते पर्यावरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता ISO14001 या इको मैनेजमेंट एंड ऑडिट सिस्टम (Eco Management and Audit System) (EMAS) जैसे मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लागु करेंगे तथा थर्ड-पार्टी प्रमाणन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
 - 4.5.1 पर्यावरण संबंधी अनुमितयाँ और रिपोर्टिंग । पर्यावरण संबंधी ज़रूरी सभी अनुमितयाँ (जैसे, डिस्चार्ज मॉनीटरिंग), अनुमोदन और पंजीकरण हासिल करना, उन्हें कायम और सामयिक बनाए रखना ज़रूरी है, साथ ही उनकी परिचालन और रिपोर्टिंग संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना होगा।
 - 4.5.2 प्रदूषण की रोकथाम और संसाधन में कटौती । आपूर्तिकर्ता जल, जीवाश्म ईंधन, खिनजों और शुद्ध वन उत्पादों सिहत अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अपनी खपत को उनकी सुरक्षा करके या उत्पादन प्रक्रियाओं को संशोधित करके, रखरखाव और सुविधा की प्रक्रियाओं के जरिए, वैकल्पिक



दस्तावेज़ सं.:

COMM-SC-2000-04

संशोधन की तारीख:

6 फ़रवरी, 2023

सामग्री प्रदान करके, दोबारा इस्तेमाल करके, संरक्षण, रीसाइक्लिंग करके या दूसरी तरकीबों से उपयुक्त बनाएगा। और प्रदूषण को रोकने तथा मूल स्रोत पर कचरा और उत्सर्जन कम पैदा होने के उपायों को अमल में लाना चाहिए, या इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने जैसी पद्धतियों को लागू किया जाना चाहिए; उत्पादन, रखरखाव और सुविधा की प्रक्रियाओं को संशोधित करना चाहिए; या अन्य तरकीबों से कचरा और उत्सर्जन घटाना चाहिए।

- 4.5.3 **ख़तरनाक पदार्थ।** मनुष्यों या पर्यावरण के लिए ख़तरा पैदा करने वाले रसायनों, अपशिष्ट पदार्थों और अन्य सामग्री का यह सुनिश्चित करने के लिए लेबलिंग, पहचान और प्रबंधन किया जाएगा कि उनका संचालन, परिवहन, भंडारण, इस्तेमाल, रीसाइक्लिंग या दोबारा इस्तेमाल और निपटान स्रक्षित ढंग से हो।
- 4.5.4 **ठोस कचरा।** आपूर्तिकर्ता ठोस कचरे (गैर-ख़तरनाक) की पहचान, प्रबंधन, कमी करने तथा इसका जिम्मेदारी से निपटान करने या रीसाइक्लिंग के लिए एक स्ट्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएगा।
- 4.5.5 **वायु उत्सर्जन ।** वाष्पशील कार्बनिक रसायनों, एरोसॉल्स, संक्षारकों, कणों, ओज़ोन ख़त्म करने वाले पदार्थों और परिचालन से उत्पन्न दहन सह-उत्पादों को डिस्चार्ज करने से पहले ज़रूरत के अनुसार उनके वायु उत्सर्जन के लक्षण चिहिनत किए जाएँगे, उनकी नियमित रूप से निगरानी होगी तथा उनका नियंत्रण और उपचार किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता अपनी वायु उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के प्रदर्शन पर नियमित रूप से नज़र रखेगा।
- 4.5.6 **सामग्री पर प्रतिबंध और उत्पाद के घटक ।** आपूर्तिकर्ताओं को रीसाइक्लिंग और निपटान के लिए लेबलिंग करने सिहत उत्पादों के अंदर और विनिर्माण में ख़ास पदार्थों का इस्तेमाल करने की मनाही या प्रतिबंध के संबंध में लागू कानूनों, विनियमों और CommScope की बाध्यताओं का पालन करना होगा। CommScope की प्रतिबंधित पदार्थ सूची ऑनलाइन Document Library में उपलब्ध है: https://www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability/document-library/
- 4.5.7 जल प्रबंधन। आपूर्तिकर्ता ऐसा जल प्रबंधन कार्यक्रम लागू करेगा, जो जल स्रोत, जल के इस्तेमाल और उसे डिस्चार्ज करने का दस्तावेजीकरण करता है, लक्षण चिहिनत करता है, इनकी निगरानी करता है; जल संरक्षण के मौके तलाशता है तथा जल-प्रदूषण के चैनलों को नियंत्रित करता है। डिस्चार्ज या निपटान करने से पहले पूरे अपशिष्ट जल के लक्षण चिहिनत करना ज़रूरी है तथा ज़रूरत के अनुसार उसकी निगरानी, नियंत्रण और उपचार किया जाएगा।
- 4.5.8 **ऊर्जा की खपत, जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।** आपूर्तिकर्ताओं को अपने परिचालनों से संबंधित ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन और ऊर्जा खपत की पहचान, निगरानी और कमी करना चाहिए। आपूर्तिकर्ता को ऊर्जा कार्यक्षमता में सुधार करने तथा अपनी ऊर्जा खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने के किफ़ायती तरीके खोजने होंगे।
- 4.6 **नैतिक आचरण ।** आपूर्तिकर्ता अपने कारोबार का संचालन नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानक और लागू क़ानूनों एवं विनियमों के अनुसार करेंगे। आपूर्तिकर्ताओं से निम्नलिखित क्षेत्रों की ज़रूरतों के अनुरूप ढलने की अपेक्षा की जाती है:
 - 4.6.1 व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, रिश्वत-विरोध और भ्रष्टाचार-विरोध । आपूर्तिकर्ता सारे व्यावसायिक लेन-देन में सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को कायम रखेगा। आपूर्तिकर्ताओं के पास किसी भी और सभी प्रकार की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और गबन पर रोक लगाने वाली एक ज़ीरो-टॉलरेंस नीति मौजूद होनी ही चाहिए।

रिश्वत या गैरज़रूरी और अनुचित लाभ प्राप्त करने के अन्य साधनों का वादा, पेशकश, इख़्तियार नहीं दिया या स्वीकार किया जाएगा। CommScope, उसके कर्मचारियों या प्रतिनिधियों के आचरण को प्रभावित करने या समझौता करने के इरादे से डिज़ाइन की गई रिश्वतों, "किकबैक्स" या अन्य भुगतानों के रूप में आपूर्तिकर्ता की किसी भी निधि या परिसंपत्ति को जमा करके, कर्ज़ देकर या भिन्न तरीकों से नहीं चुकाया जाएगा।

आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागू रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों (जिसमें संशोधित यूनाइटेड स्टेट्स (U.S.) विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (United States (U.S.) Foreign Corrupt Practices Act) और यूनाइटेड िकंगडम (U.K.) रिश्वत अधिनियम (United Kingdom (U.K.) Bribery Act) शामिल हैं, लेकिन बात इन्हीं तक सीमित नहीं है) का पालन करना अनिवार्य है तथा उनके पास इस तरह के कानूनों का अनुपालन करवाने और निगरानी करने वाली पर्याप्त प्रक्रियाएँ और नीतियाँ ज़रूर मौजूद होनी चाहिए।

- 4.6.2 **हितों का टकराव।** आपूर्तिकर्ताओं को CommScope के कर्मचारियों के साथ हितों के वास्तविक, संभावित या कथित टकराव से बचना चाहिए। यदि हितों का टकराव होता है, तो आपूर्तिकर्ता को उसका खुलासा करना चाहिए, ताकि हालात पर काबू पाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें।
- 4.6.3 जानकारी का खुलासा करना । सभी कारोबारी लेन-देन पारदर्शी रूप से संपन्न किए जाने चाहिए और इनका आपूर्तिकर्ता की बिजनेस-बुक और रिकॉर्ड्स में सटीकता से दर्ज़ होना ज़रूरी है। आपूर्ति श्रृंखला में रिकॉर्ड्स की जालसाज़ी या शर्तों व पद्धतियों की ग़लत व्याख्या हरगिज़ स्वीकार नहीं की जाएगी।



4.6.4 बौद्धिक संपदा। आपूर्तिकर्ता दूसरों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करेंगे, जिनमें CommScope, उससे संबद्ध लोग और कंपनियाँ तथा व्यावसायिक भागीदार शामिल हैं। आपूर्तिकर्ताओं को CommScope की गोपनीय और मालिकाना जानकारी सुरक्षित और कायम रखने वाले उपयुक्त क़दम उठाने होंगे तथा ऐसी जानकारी का इस्तेमाल केवल CommScope द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के काम आने के लिए ही किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ता CommScope के सभी पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स का अनिवार्य रूप से पालन और सम्मान करेंगे तथा इनका इस्तेमाल करने के संबंध में CommScope द्वारा निर्धारित सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपूर्तिकर्ता CommScope की गोपनीय या मालिकाना जानकारी को इंटरनेट के माध्यम से तब तक प्रसारित नहीं करेंगे जब तक कि ऐसी जानकारी को CommScope द्वारा स्थापित न्यूनतम मानकों के अनुसार एन्क्रिप्ट नहीं कर दिया जाता।

- 4.6.5 निष्पक्ष कारोबार, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा। आपूर्तिकर्ताओं को एकाधिकारी व्यापार-रोधी और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कानूनों का पूर्ण अनुपालन करते हुए अपना कारोबार संचालित करना होगा तथा लागू क़ानूनों के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियों, व्यापारिक संरचना, वितीय स्थिति और कारोबारी प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी का खुलासा करना पड़ेगा। साथ ही निष्पक्ष कारोबार, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा के मापदंडों को बरकरार रखना होगा।
- 4.6.6 पहचान की सुरक्षा और प्रतिशोध न लेना । आपूर्तिकर्ता ऐसे कार्यक्रम लागू करेगा और उन्हें कायम रखेगा जो आपूर्तिकर्ता तथा मुखबिर कर्मचारियों की गोपनीयता, गुमनामी व सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आपूर्तिकर्ता के पास अपने किर्मयों के लिए प्रतिशोध से डरे बगैर किसी भी चिंता को उठाने के काबिल होने के लिए एक बताई गई प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए।
- 4.6.7 गोपनीयता । आपूर्तिकर्ता अपने आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों सिहत उनके साथ कारोबार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की निजी जानकारी को गोपनीय रखने से जुड़ी वाजिब अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। निजी जानकारी एकत्रित, संचित, विकसित, प्रसारित और साझा करते समय आपूर्तिकर्ता को गोपनीयता व सूचना स्रक्षा कानूनों तथा नियामक बाध्यताओं का पालन करना होगा।
- 4.6.8 **खिनजों को जिम्मेदारी से हासिल करना ।** आपूर्तिकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके हाथ में तर्कसंगत ढंग से आश्वस्त करने के लिए कोई नीति होनी चाहिए और उन्हें यह साबित करने का कष्ट उठाना चाहिए कि उनके द्वारा निर्मित उत्पादों में मौजूद टिन, टैंटलम, टंगस्टन और सोना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन सशस्त्र समूहों को धन या लाभ तो मुहैया नहीं कराते, जो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य या निकटवर्ती देश में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करने के दोषी हैं। अनुरोध करने पर आपूर्तिकर्ता CommScope को जानकारी प्रदान करेंगे।
- 4.7 प्रबंधन प्रणाली । आपूर्तिकर्ताओं को इस संहिता के अनुरूप नीतियों का विकास, रखरखाव और कार्यान्वयन करना चाहिए तथा संहिता का अनुपालन प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त प्रबंधन प्रणालियों और दस्तावेज़ीकरण को कायम रखना चाहिए। प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित तत्व शामिल होने चाहिए:
 - 4.7.1 कंपनी की प्रतिबद्धता । यह अनुपालन और निरंतर सुधार के प्रति आपूर्तिकर्ता की प्रतिबद्धता का दावा करने वाला सुविधा पर स्थानीय भाषा में पोस्ट किया गया कॉर्पोरेट सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से संबंधित नीति वक्तव्य है, जिसकी कार्यकारी प्रबंधन ने तसदीक़ की है।
 - 4.7.2 प्रबंधन की जवाबदेही और जिम्मेदारी। प्रबंधन प्रणालियों और संबंधित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार विरष्ठ अधिकारी और कंपनी प्रतिनिधियों की पहचान करना। विरष्ठ प्रबंधन नियमित रूप से प्रबंधन प्रणाली के हालात का जायज़ा लेता रहता है।
 - 4.7.3 कानूनी और ग्राहक ज़रूरतें । यह इस संहिता की ज़रूरतों सहित लागू क़ानूनों, विनियमों और ग्राहक ज़रूरतों की पहचान करने, निगरानी करने और उन्हें समझने की एक प्रक्रिया है।
 - 4.7.4 **जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ।** यह आपूर्तिकर्ता के परिचालनों से जुड़े क़ानूनी अनुपालन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम पद्धिति और नैतिकता से संबंधित जोखिमों को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है।
 - 4.7.5 **सुधार के उद्देश्य।** आपूर्तिकर्ता के सामाजिक और पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रदर्शन के लिखित उद्देश्य, लक्ष्य और कार्यान्वयन योजनाएँ, जिसमें इन उद्देश्यों की पूर्ति करने की दिशा में आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए प्रदर्शन का समय-समय पर मूल्यांकन करना शामिल है।
 - 4.7.6 प्रशिक्षण । आपूर्तिकर्ता की नीतियों, प्रक्रियाओं, सुधार के उद्देश्यों को अमल में लाने तथा लागू क़ानूनी व नियामक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रबंधकों और कामगारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम।
 - 4.7.7 संप्रेषण/संचार/संदेश । यह आपूर्तिकर्ता की नीतियों, पद्धितियों, अपेक्षाओं और प्रदर्शन के बारे में कामगारों, आपूर्तिकर्ताओं और CommScope को स्पष्ट और सटीक जानकारी संप्रेषित करने की एक प्रक्रिया है।
 - 4.7.8 **कामगार का फ़ीडबैक, भागीदारी और शिकायत।** जारी रहने वाली प्रक्रियाएँ, जिसमें इस संहिता द्वारा कवर की गई पद्धतियों और शर्तों का उल्लंघन होने को लेकर कामगारों की समझ का आकलन करने, उनका फ़ीडबैक प्राप्त करने तथा निरंतर सुधार को बढ़ावा देने वाला एक प्रभावी शिकायत तंत्र शामिल है। कामगारों को बदला या प्रतिशोध से डरे बिना शिकायत करने और फ़ीडबैक देने के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाना चाहिए।



4.7.9 **ऑडिट और आकलन ।** क़ानूनी और नियामक ज़रूरतों, संहिता के कंटेंट तथा सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जुड़ी CommScope की ठेका-संबंधी ज़रूरतों के अनुरूप ढालने के लिए समय-समय पर किए जाने वाले आत्म-मूल्यांकन।

- 4.7.10 **सुधारात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया ।** यह आंतरिक या बाहरी मूल्यांकन, निरीक्षण, जाँच-पड़ताल और समीक्षाओं द्वारा चिहिनत की गई कमियों को समय पर सुधारने की प्रक्रिया है।
- 4.7.11 **दस्तावेज़ीकरण और रिकॉर्ड्स ।** गोपनीयता की रक्षा के लिए यथोचित गोपनीयता बरतते हुए कंपनी की ज़रूरतों के अनुसार अनुपालन और अन्रूपता स्निश्चित करने हेत् दस्तावेज़ व रिकॉर्ड्स बनाना और उनका रखरखाव करना।
- 4.7.12 **आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी ।** ये आपूर्तिकर्ताओं को संहिता की ज़रूरतें बताने और आपूर्तिकर्ता द्वारा इस संहिता के अनुपालन पर नज़र रखने की प्रक्रिया है।

4.8 अतिरिक्त ज़रूरतें।

- 4.8.1 निर्यात प्रतिबंध / आतंकवादी गतिविधियाँ। I CommScope के आपूर्तिकर्ताओं को अपने दायित्वों को किसी भी तरह से नहीं निभाना चाहिए जिससे CommScope या वे खुद U.S. और अंतर्राष्ट्रीय आयात/निर्यात नियंत्रणों का उल्लंघन हो। या अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रणों का उल्लंघन होता हो। अमेरिकी सरकार या किसी अन्य राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा संकलित आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों की किसी भी सूची में न तो आपूर्तिकर्ताओं और न ही उनसे संबद्ध लोगों एवं कंपनियों, न ही आपूर्तिकर्ता और न ही उससे संबद्ध कंपनियों के किसी अधिकारी या निदेशक का नाम शामिल होना चाहिए। CommScope के आपूर्तिकर्ताओं को चाहिए कि वे:
 - (i) यू.एस. और सभी लागू अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध क़ानूनों और विनियमों के साथ-साथ CommScope या आपूर्तिकर्ता पर लागू सभी यू.एस. और अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रणों का अन्पालन करें;
 - (ii) यू.एस. और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिए CommScope द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करें। विशेष रूप से, आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट और ठोस साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो CommScope को प्रदान की गई सामग्री, घटकों, सामानों या वस्तुओं में शामिल सभी उप-स्तरीय आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और स्थान प्रदर्शित करता हो;
 - (iii) ऐसे व्यक्तियों, इकाइयों, संगठनों या देशों के साथ कारोबार न करें, जो यू.एस. या लागू अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध कानूनों और विनियमों के निशाने पर हैं;
 - (iv) ऐसी किसी भी बहिष्कृत या प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति में हरगिज़ भाग न लें, जिससे यू.एस. के बहिष्कार विरोधी क़ानूनों का उल्लंघन होता हो; तथा
 - (v) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आतंकवादी गतिविधि या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल न हों या इसका समर्थन न करें।
- 4.8.2 आपूर्तिकर्ताओं से आग्रह। सभी आपूर्तिकर्ता CommScope की सुविधाओं, कार्यालयों एवं विभागों तथा कर्मचारियों तक पहुँच बनाने के संबंध में CommScope द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। कोई भी आपूर्तिकर्ता CommScope बिरादरी को अनापेक्षित इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के उद्देश्य से CommScope के इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम और इंटरनेट साइट सिहत उसके कंप्यूटर सिस्टम का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। आपूर्तिकर्ताओं को ट्रेड शो आयोजित करने, उत्पादों का प्रदर्शन करने, CommScope के संसाधनों (अर्थात् बुलेटिन बोईस) का लाभ उठाने या CommScope के विभागों को अनापेक्षित कॉल करने के लिए CommScope आपूर्ति शृंखला प्रबंधन (CommScope Supply Chain Management) से पूर्व-लिखित अन्मित प्राप्त करनी होगी।
- 4.8.3 निगरानी और अनुपालन। CommScope या उसके प्रतिनिधि आपूर्तिकर्ता द्वारा इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि के लिए निगरानी करने वाली गितविधियों में लिप्त हो सकते हैं, इनमें ऑन-साइट ऑडिट्स और सुविधाओं का निरीक्षण, प्रश्नावली का उपयोग, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की समीक्षा करना शामिल है, अथवा वे आपूर्तिकर्ता के प्रदर्शन का आकलन करने और उपयुक्त कानूनी ज़रूरतों का वाजिब तत्परता से अनुपालन कराने वाले अन्य ज़रूरी उपाय कर सकते हैं। इस नीति के उल्लंघन से अवगत होने वाला CommScope का कोई भी आपूर्तिकर्ता या कर्मचारी CommScope आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को सूचित करने के लिए बाध्य है। CommScope को उपलब्ध कराई गई जानकारी के आकलन की बुनियाद पर संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी संभावित आपूर्तिकर्ता को अयोग्य घोषित करने या देनदारी के बिना ही किसी भी मौजूदा आपूर्तिकर्ता के साथ हर तरह के संबंध ख़त्म करने का अधिकार (अन्य सभी कानूनी और ठेका-संबंधी अधिकारों के अलावा) CommScope स्रक्षित रखती है।

आपूर्तिकर्ताओं को उनकी पर्यावरण से जुड़ी, सामाजिक परिस्थितियों और नैतिक आचरण में निरंतर सुधार करने का जिम्मा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

गैरक़ानूनी, अनैतिक या अनुचित आचरण को लेकर होने वाली चिंताओं की रिपोर्ट हर कोई कर सकता है। हम एक सख्त नीति लागू करते हैं जो किसी सद्विश्वास में किसी चिंता या संदिग्ध कदाचार की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिशोध को रोकती है।

अपनी चिंता को रिपोर्ट करने के लिए कृपया निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प चुनें:



हमारे कॉर्पोरेट नैतिकता और अन्पालन अधिकारी को ethics@commscope.com पर ईमेल करें।

- CommAlert® का इस्तेमाल करके कोई गोपनीय रिपोर्ट सबमिट करें। जहाँ लागू क़ानून इजाज़त देता है, वहाँ CommAlert अनाम रिपोर्टिंग का समर्थन करता है।
 - o अमेरिका में, 866-277-2410 डायल करें। यू.एस. (U.S.) के बाहर से आने वाली कॉल के लिए किसी <u>देश-विशिष्ट कोड</u>की ज़रूरत होती है।
 - o <u>Commalert.alertline.com</u>पर जाएँ या EU में मौजूद जगहों के लिए <u>commalert-europe.alertline.com</u> पर जाएँ।

आपूर्तिकर्ता द्वारा इस संहिता का अनुपालन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप एक CommScope आपूर्तिकर्ता के तौर पर उसका हर अनुबंध समाप्त हो सकता है।

5.0 आवेदन/बहिष्करण

यह संहिता पूर्तिकर्ताओं के संबंध में CommScope की अपेक्षाओं का एक व्यापक कथन है। CommScope के सभी आपूर्तिकर्ताओं, उनके कर्मचारियों और विस्तारित आपूर्ति शृंखला से इस संहिता में वर्णित ज़रूरतों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इस कोड को किसी भी (i) प्रस्ताव या अन्य आग्रह का अनुरोध करने अथवा (ii) CommScope व आपूर्तिकर्ता के बीच तथा इनके द्वारा किए गए अनुबंधों में आपूर्तिकर्ता के लिए तय की गई किन्हीं देनदारियों के स्थान पर नहीं, बल्कि इनको शामिल करते हुए पढ़ा जाना चाहिए। इस संहिता और किसी भी CommScope आग्रह दस्तावेज़ या लागू अनुबंध के बीच टकराव होने की स्थिति में आग्रह दस्तावेज़ या लागू अनुबंध की शर्तों का नियंत्रण होगा।

इस संहिता पर कोई भी बहिष्करण लागू नहीं हैं।

6.0 संशोधन का इतिहास

जारी करने की तारीख	DCR	संशोधन
03 दिसंबर, 2010	CTV-74-006-06	मूल दस्तावेज़
26 मार्च, 2018	CS-SC-2000-04	नई QMS नीति का टेम्पलेट और संख्यांकन योजना।
18 जुलाई, 2022	2022- 0620-1842	नई QMS नीति का टेम्पलेट और संख्यांकन योजना। RBA आचार संहिता के अनुरूप नीतिगत ज़रूरतें। स्वामित्व: Damien O'Sullivan (निदेशक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व)/अनुमोदक Boris Kokotovic (SVP, गुणवत्ता) • Geoff Sullivan (मुख्य ख़रीद अधिकारी) • Jessica Snyder (मूल प्रक्रिया का स्वामी COMM-SC-2000, परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञ, खरीद संचालन)
6 फ़रवरी, 2023	2023- 0118-0251	धारा 4.8.1 - पैराग्राफ (ii) में जोड़ी गई नई आवश्यकताएं, धारा 7.0 - आपूर्ति शृंखला मानचित्रण और कैस्केडिंग आवश्यकताओं को जोड़ा गया। स्वामित्व: Damien O'Sullivan (निदेशक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व)/अनुमोदक Boris Kokotovic (SVP, गुणवत्ता) • Geoff Sullivan (मुख्य ख़रीद अधिकारी) • Beth Elliott (मूल प्रक्रिया का स्वामी COMM-SC-2000), विश्लेषक, वैश्विक प्रक्रिया प्रणाली और रणनीतियाँ, खरीद संचालन)



7.0 अभिस्वीकृति

[आपूर्तिकर्ता का नाम] इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

- हमें CommScope की आपूर्तिकर्ता आचार संहिता ("संहिता") प्राप्त हो गई है और हमने पढ़ ली है।
- हम संहिता (Code) में वर्णित ज़रूरतों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
- हम लागू कानूनों या विनियमों से संबंधित अनुरोध पर, CommScope को प्रदान किए गए उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला मानचित्र तुरंत प्रदान करेंगे जो सभी आपूर्तिकर्ताओं और उप-स्तरीय आपूर्तिकर्ताओं और अन्रोधित उत्पादों के लिए उनके स्थानों की पहचान करता है।
- हम अपने कर्मचारियों, उप-ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को कोड की सामग्री के बारे में सूचित करेंगे और कोड की आवश्यकताओं को हमारी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में कैस्केड करेंगे और उसमें शामिल प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता होगी।
- हम अपने कर्मचारियों, उप-ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को इस संहिता में मौजूद कंटेंट की जानकारी देंगे तथा इसमें शामिल प्रावधानों को लेकर की गई अपेक्षाओं के बारे में उन्हें यकीनी तौर पर समझाएँगे।
- हम संहिता का उल्लंघन होने के हर मामले की सूचना CommScope को देंगे।

हम विशिष्ट ऑनलाइन प्रश्नावली/साधन, मूल्यांकन, RBA मान्य मूल्यांकन कार्यक्रम (RBA Validated Assessment Program) (VAP) या CommScope के अनुरोध पर थर्ड-पार्टी ऑडिट के माध्यम से इस संहिता का अनुपालन प्रदर्शित करने के लिए सहमत हैं। अनुरोध किए गए ऑनलाइन टूल और/या RBA VAP ऑडिट और/या थर्ड-पार्टी ऑडिट को इस्तेमाल करने का ख़र्च आपूर्तिकर्ता को उठाना पड़ेगा।

हम लागू क़ानूनी ज़रूरतों के दायित्वों की पूर्ति के लिए CommScope की वाजिब तत्पर प्रक्रिया के दौरान सहयोग करने और ज़रूरी जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

संहिता का अनुपालन सत्यापित करने के लिए हम CommScope या इसकी ओर से काम करने वाले किसी भी संगठन को हम अपने परिसर और हमारे उप-ठेकेदार के परिसर में किसी भी समय ऑडिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

आपूर्तिकर्ता कंपनी का नाम:
आपूर्तिकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पद:
हस्ताक्षर और कंपनी की सील/मुहर:

दिनांक: